UPLK010226932025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ

उपस्थितः—जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय.. एच0जे0एस0

सत्र वाद संख्या 2184/2025

(दाण्डिक निगरानी संख्या 922/2024)

1— जन्डैल सिंह पुत्र भूपराम वर्तमान पता 592/73 बंगाली टोला, तेलीबाग, लखनऊ।

बनाम

1—अशोक कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी निदेशक,
2—दयाराम, प्रभारी बंधक/मण्डलीय प्रभारी—3,
3—श्रीमती जया द्विवेदी, सहायक ग्रेड प्रथम,
4—विजय प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड प्रथम,
समस्त कार्यरत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी, कल्याण निगम 742 जवाहर भवन, लखनऊ।
5—उ0प्र0 राज्य

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 397, 399 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.09.2024 द्वारा परिवादी के परिवाद को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने से क्षुब्ध होकर दाखिल की गयी है।

पुनरीक्षण से संबंधित परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीगर्ता, उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण निगम जवाहर भवन, लखनऊ के अधीनस्थ लेखा लिपिक के पद पर बेसिक शिक्षा डिपो निशातगंज, लखनऊ में बतौर प्रभारी कार्य कर रहा था वर्तमान समय में 592/73, बंगाली टोला तेलीबाग में रह रहा है। विपक्षी संख्या 1 अशोक कुमार श्रीवास्तव अधिशासी निदेशक के पद पर कार्यरत होते हुए प्रार्थी का उत्पीड़न करने की नियत से अपने सहयोगी दयाराम, श्रीमती जया द्विवेदी तथा विजय प्रकाश श्रीवास्तव के सहयोग से प्रार्थी को मिथ्या आरोपित कर मनगढंत कथानक संस्थित कर उसको सेवा से अवमुक्त कराने का प्रयास किया। प्रार्थी को दिनांक 05.12.2017 को चेतावनी पत्र मुख्यालय द्वारा भेजा गया। उक्त आरोपों का खण्डन करने व चेतावनी पत्र में

लगाये गये आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से दिनांक 11.12.2017 को मुख्यालय को एक पत्र दिया, जिस पर बिना किसी विचार किए हुए प्रार्थी को दिनांक 02.01.2018 को निलम्बित कर दिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध विपक्षी सं० 2 द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रेषित करने से आहत होकर दिनांक 27.12.2017 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दया राम प्रबन्धक प्रभारी लखनऊ मण्डल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच कराने के उद्देश्य से थाना महानगर कोतवाली, लखनऊ में दिया था. परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। विपक्षीगण संख्या 1 स 4 में विपक्षी सं० 2 दयाराम दलित होते हुए भी विपक्षी संख्या–1. 3 व 4 के प्रमाय और ताकत के आगे उसकी भी मूक भूमिका हां में हॉ मिलाने वाली है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं किया। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना महानगर, लखनऊ से आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार उपरोक्त मामले में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं होना बताया गया।

जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करते हुए कि संबंधित सभी तथ्य प्रार्थी की जानकारी में हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **"सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू० पी०, 2007 (59) ए.सी.सी. 739 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मो० यूसुफ बनाम श्रीमती आफाक जहाँ, 2006 (1) जे.आई.सी. 769 सुप्रीम कोर्ट"** को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किये जाने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली को परिवादी/निगरानीकर्ता के बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया।

तदुपरांत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि ''परिवाद पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

आदेश तैयार कराते समय पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के प्रस्तर–6 में कथन किया है कि 'उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उपरोक्त विपक्षीगण संख्या 1 से 4 में विपक्षी संख्या–2 दयाराम दलित होते हुए भी 1, 3. 4 के प्रभाव और ताकत के आगे उसकी भी मूक भूमिका हॉ में हॉ मिलाने वाली है, इसलिए अन्याय को देखते हुए भी अभियुक्तगण संख्या–1, 3, 4 के प्रत्येक किया कलाप में अपनी मौन सहमति देते हुए अपराध को कारित करने में अपनी सहभागिता बनाए रखता है इस कारण इन लोगों का एक मात्र उद्देश्य यह भी है कि अपराध में छल प्रपंच कर

अपमानित करने तथा मान प्रतिष्ठा को जान बूझकर गिराने का लगातार प्रयास कारित किया जा रहा है। इस तरह अभियुक्तगण अंतर्गत धारा–120बी, 420, 504, 506, 499, 500 भा०दं०सं० व धारा–3 (1) एस०सी०/एस०टी०एक्ट के अंतर्गत दण्डित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।"

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सक्षम अधिकारी/तहसीलदार सरोजनीनगर की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांकत 11.04.2024 दाखिल किया गया है, जिसमें यह अंकित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की जाटव जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950 (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी गयी है। जन्डैल सिंह तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के 592/73, बंगाली टोला खरिका तेलीबाग, ग्राम तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ में सामान्यतया रहता है।

इस प्रकार परिवादी के परिवाद पत्र एवं उसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी जन्डैल सिंह एस.सी./एस.टी.एक्ट से संबंधित हैं। अतः उपरोक्त परिवाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः परिवादी का परिवाद क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी के परिवाद को क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है।''

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा निम्न कथनों के साथ यह निगरानी दाखिल की गयी हैः–

प्रार्थी जाटव जाति का व्यक्ति है जिसे संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रारूप में मान्यता दी जाती है। प्रार्थी इसके सम्बन्ध में तहसीलदार सरोजनीनगर की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र दिनांकित–11.04.2024 की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। प्रार्थी घटना के समय उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम 742 जवाहर भवन लखनऊ में अधिनस्थ / लेखालिपिक के पद पर बेसिक शिक्षा डिपो निशातगंज, लखनऊ में बतौर प्रभारी कार्य कर रहा था। प्रार्थी के विपक्षीगण द्वारा शणयंत्र करके निलंम्बित कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 1 अशोक कुमार श्रीवास्तव अधिशासी निदेशक के पद पर कार्यरत होते हुए प्रार्थी को उत्पीड़न करने की नियत से अपने अन्य सहयोगी दयाराम प्रभारी प्रबन्धक उ.प्र.रा. कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ श्रीमती जया द्विवेदी सहायक

ग्रेड प्रथम मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ तथा विजय प्रकाश श्रीवास्तव सहायक ग्रेड प्रथम मुख्यालय जवाहर भवन, लखनऊ के सहयोग से प्रार्थी को मिथ्या आरोपित कर मनगढ़त कथानाक संस्थित कर प्रार्थी को उसकी सेवा से अवमुक्त कराने का प्रयास किया और उस प्रयास में तथ्यों की जांच के पूर्व ही निलम्बित कर दिया। यह निलम्बन बिना किसी जांच के बिना किसी ठोस प्रमाण साक्ष्य तथा अभिलेखों का निरीक्षण किये बिना विपक्षी संख्या–2 की षड़यंत्रिक झूठी रिपोर्ट पर ही प्रार्थी को ऐन–केन प्रकारेण दोषी करार करने के उद्देश्य से निलम्बित कर दिया। प्रार्थी को दिनांक–05 दिसम्बर 2017 को चेतावनी पत्र मुख्यालय द्वारा भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खण्डन करने व चेतावनी पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से दिनांक–11.12.2017 को मुख्यालय जवाहर भवन लखनऊ को एक पत्र दिया जिस पर बिना किसी विचार किये हुए प्रार्थी को दिनांक–02.01.2018 को निलम्बित कर दिया गया। प्रार्थी के विरूद्ध विपक्षी संख्या–2 द्वारा झूठी रिपोर्ट मुख्यालय में प्रेषित करने से आहत होकर दिनांक–27.12.2017 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्री दयाराम प्रबन्धक प्रभारी लखनऊ मण्डल के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच कराने के उद्देश्य से थाना महानगर कोतवाली लखनऊ में दिया गया परन्तु स्थानीय पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। उसी दिन रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रभारी निरीक्षण कोतवाली नही की गयी तो बाध्य होकर विपक्षीगणों/अभियुक्तगणों के विरूद्ध रिपोर्ट लिखकर जांच कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक–25.01.2018 को एक शिकायती पत्र भेजा परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई न ही मुकदमा पंजीकृत किया गया जो प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भेजा गया उसकी प्रतिलिपि व प्रेषित डाक की रसीद की प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थी को अब यह भी विश्वास हो गया है कि विपक्षीगण प्रभावशाली व्यक्ति है और पुलिस उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करना चाहती है। इसलिये बाध्य होकर प्रार्थी मै सशपथ पत्र एक प्रार्थना पत्र धारा–156 (3) सी. आर.पी.सी. दर्ज करके एफ.आई.आर. न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जी में न्याय हेतु निवेशित किया था। जिसमें माननीय न्यायालय सी. जी.एम. महोदय जी द्वारा दिनांक 15.05.2018 को इसे परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया था। परिवाद संख्या–1299/2018, थाना–महानगर, कोतवाली, लखनऊ। प्रार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा अज्ञानतावश प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम., महोदय लखनऊ में दाखिल कर दिया था। जबकि प्रार्थी / वादी एस०सी०एस०टी० जाति (जाटव जाति) में आता है इसलिए इस वाद का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र

न्यायधीश / विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० के अन्तर्गत आता है। जिसे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दिनांक–24.09.2024 को क्षेत्राधिकार न होने के कारण स्थानान्तरण किये जाने के बजाय निर्णित कर दिया जो दोषपूर्ण है। जिसे पुनः स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा वादी / प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त उपरोक्त विपक्षीगण 1 से 4 में विपक्षी संख्या–2 दयाराम दलित होते हुए भी 1, 3, 4 के प्रभाव और ताकत के आगे उसकी भी मुख्य भूमिका "हाँ में हाँ" मिलाने वाली है इसलिये अन्याय को देखते हुए भी अभियुक्तगण संख्या–1, 3, 4 के प्रत्येक क्रिया कलाप में अपनी मौन सहमति देते हुए अपराध को कारित करने में अपनी सहभागिता बनाये रखता है इस कारण इन लोगो का एक मात्र उद्देश्य यह भी है कि अपराध में छल प्रपंच कर अपमानित करने तथा मान प्रतिष्ठा को जान बूझकर गिराने को लगातार प्रयास कारित किया जा रहा है। इस तरह अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–120बी, 420, 504, 506, 499, 500, आई.पी.सी. व धारा 3 (1) एस. सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डित करना न्यायहित में आवश्यक है।

सुना एवं अवर न्यायालय की पत्रावली तथा निगरानी के तथ्यों का अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता का मुख्य कथन यह है कि पुनरीक्षणकर्ता या अधिवक्ता द्वारा अज्ञानतावश प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम., महोदय लखनऊ में दाखिल कर दिया था। जबकि निगरानीकर्ता एस०सी०एस०टी० जाति (जाटव जाति) में आता है इसलिए इस वाद का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायधीश / विशेष न्यायाधीश एस०सी०एस०टी० के अन्तर्गत आता है। जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दिनांक–24.09.2024 को क्षेत्राधिकार न होने के कारण स्थानान्तरण किये जाने के बजाय निर्णित कर दिया जो दोषपूर्ण है।

उपरोक्त पुनरीक्षण में पुनरीक्षकर्ता द्वारा यह इंकित नहीं किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय का आदेश कि प्रकार से दोषपूर्ण है। पुनरीक्षणकर्ता स्वयं यह कह कर आ रहा है कि पुनरीक्षणकर्ता या अधिवक्ता द्वारा अज्ञानतावश प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान सी.जे.एम., महोदय लखनऊ में दाखिल कर दिया था। जब उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा स्वयं ही बिना क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसे विद्वान अवर न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

पुनरीक्षण की प्रकृति संशोधनात्मक होता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों मामलों में मत व्यक्त किया है कि अवर न्यायालय द्वारा की

गयी त्रुटि को पुनरीक्षण के माध्यम से निवारित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012)9 एस0सी0सी 460*** में इस आशय का मत व्यक्ति किया है कि धारा 397 दं0प्र0सं0 में पुनरीक्षण न्यायालय क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित होता है, जहां पर विधि के प्राविधान का उल्लंघन किया गया हो या अवर न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण हो या न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तौर पर किया गया हो तो पुनरीक्षण न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***विनय त्यागी बनाम इरसाद अली (2013)5 एस0सी0सी0 762*** में इस आशय का मत व्यक्त किया है कि सामान्यतः पुनरीक्षण न्यायालय को विधिक बिन्दु पर क्षेत्राधिकारिता प्रयोग करना चाहिए। परिणामतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि न होने के कारण प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता जन्डैल सिहं की ओर से सत्र वाद संख्या 2184/2025 (दाखिल पुनरीक्षण 922/2024) खारिज किया जाता है। अवर न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांकित 24.09.2024 पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाय।

पुनरीक्षणकर्ता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सक्षम क्षेत्राधिकारी वाले न्यायालय में पुनः अपना वाद दाखिल कर सकता है।

दिनांक 08.06.2026

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ ।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 08.06.2026

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ ।